उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

पत्रांक– 1436/06/डी0आर0/सेवा–2/2008–09, दिनांक :: 22 नवम्बर, 2012

विज्ञप्ति

आयोग कार्यालय के विज्ञापन संख्या– 03/डी0आर0/एस–2/2011–12, दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 द्वारा विज्ञापित **सफाई एवं खाद्य निरीक्षक–श्रेणी 'ग' (शहरी विकास विभाग)** के रिक्त 65 पदों पर चयन संबंधी कार्यवाही शासन के पत्र संख्या–273/IV(1)/01(12)/2007, दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किये जाने तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप आयोग कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या– 120/06/डी0आर0/सेवा–2/2008–09, दिनांक :: 25 अप्रैल, 2012, द्वारा सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पद पर चयन संबंधी कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी। पुनः शासन के पत्र संख्या–797/IV(1)01(4)/2012, दिनांक 21 अक्टूबर, 2012 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक योग्यता में पुनर्निर्धारण करते हुए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

''बी0एस0सी0 तथा राज्य स्वास्थ्य संस्थान से एक वर्षीय हाईजीन एवं सैनिटेशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाईजीन एवं सैनिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।''

एतद्द्वारा उक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया पुनः आरम्भ करते हुए उपरोक्त योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से **ओ0एम0आर0** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **पूर्व में उपरोक्त योग्यता धारित करने वाले जिन अभ्यर्थियों ने सफाई एवं खाद्य निरीक्षक– श्रेणी 'ग' पद हेतु आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।** आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की **अंतिम तिथि दिनांक :: 21 दिसम्बर, 2012** निर्धारित की जाती है। विज्ञापन का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। **विज्ञापन में उल्लिखित डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2012 से दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। अभ्यर्थी यह अवश्य ध्यान रखें कि उक्त पद पर आवेदन के लिए डाकघरों में उपलब्ध 'सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र' ही प्राप्त करें एवं उसे पूर्ण रूप से भरकर ही आयोग कार्यालय को प्रेषित करें।**

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव

विज्ञापन संख्या – 04/डी0आर0/एस–2/2012–13

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक(शहरी विकास विभाग) श्रेणी 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन परीक्षा–2012

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 21 दिसम्बर, 2012

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 23 नवम्बर, 2012

उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास विभाग में पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत रिक्त **'सफाई एवं खाद्य निरीक्षक– श्रेणी 'ग'** पद पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से **ओ0एम0आर0** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है–

(i) **विभाग संख्या** – सेवा/02

(ii) **पदों की संख्या** – 65 पद (जिनमें से 15 पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, 03 पद उत्तराखण्ड अनु0 जनजाति, 09 पद उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित)

(iii) **वेतनमान** – रु0 4,000 – 6,000/– (दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षित होना है)

(iv) **पद का स्वरुप** – अराजपत्रित/स्थायी/पेंशनयुक्त।

(v) **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** – बी0एस0सी0 तथा राज्य स्वास्थ्य संस्थान से एक वर्षीय हाईजीन एवं सैनिटेशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाईजीन एवं सैनिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।

आयुसीमा :– 21 से 40 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2012 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 01 जुलाई, 1991 के बाद तथा 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा में छूट अनुमन्य है।

–:अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1– ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढे तथा निर्देशों के अनुरूप ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरे।

2– **आयोग कार्यालय के विज्ञापन संख्या– 03/डी0आर0/एस–2/2011–12, दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 द्वारा विज्ञापित सफाई एवं खाद्य निरीक्षक–श्रेणी 'ग' (शहरी विकास विभाग)** के रिक्त 65 पदों पर चयन संबंधी कार्यवाही शासन के पत्र संख्या–273/IV(1)/01(12)/2007, दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक योग्यता का पुनर्निर्धारण किये जाने तक स्थगित कर दी गयी थी। शासन के पत्र संख्या–797/IV(1)01(4)/2012, दिनांक 21 अक्टूबर, 2012 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक योग्यता में पुनर्निर्धारण किये जाने पर चयन प्रक्रिया पुनः आरम्भ करते हुए उपरोक्त योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से **ओ0एम0आर0** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **पूर्व में उपरोक्त योग्यता धारित करने वाले जिन अभ्यर्थियों ने सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पद हेतु आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के सायं 6.00 बजे तक** अवश्यक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं वांछित अनुभव (यदि लागू हो) आदि अवश्य धारित करते हों। **अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।**

3– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–13 व 14** में अवश्य करें तथा तत्सम्बन्धी वृत्त में अंकन काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या– 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4– अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार के प्रयोग हेतु, अपने पास सुरक्षित रखें तथा प्रश्नगत परीक्षा के सम्बंध में भविष्य में होने वाले पत्राचार में **ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें।** ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रदान की गयी सूचनाओं में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है और न ही इस सम्बंध में कोई अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।

5– अभ्यर्थी यह सूनिश्चित कर ले कि विज्ञापित पद हेतु उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक तथा वैधता की अवधि में होना अनिवार्य है।

नोट– (क) शासनादेश संख्या 1270/XXX(2)/2010, दिनांक 02 सितम्बर, 2010 द्वारा प्राविधान किया गया है कि समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगें जिनका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय* में पंजीकृत होगा। शासन के पत्रांक 1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक है और आयोग के अधीन समूह 'ग' के प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते है, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।'' ऐसे अभ्यर्थी **ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या 19** से सम्बंधित वृत्त में अंकन अवश्य करें।

(ख) शासन के पत्रांक 1097/**XXX**(2)/2011 दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही **राज्याधीन सेवाओं में** सेवायोजित है, किन्तु समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक है और आयोग के अधीन समूह 'ग' के प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते है, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।''

*** शासनादेश संख्या 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा प्राविधान किया गया है कि** 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010' के नियम 4(1) के अन्त में निम्नवत् परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्– ''परन्तु यह कि जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।''

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(2) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।
(3) **राष्ट्रीयता–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–
(क) भारतीय नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(4) वैवाहिक प्रास्थिति :–
(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री
(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी अन्य स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो। उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(5) उच्चतम आयु सीमा में छूटः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष, उत्तराखण्ड के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को सेना में की गई कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 वर्ष और अधिक छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 है।
टिप्पणी :– 1– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
2– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
3– आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
4– आरक्षण संबंधी सभी शासनादेशों का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
(6) शुल्क :– **(1)** अभ्यर्थियों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के रूप में शुल्क प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क अदा कर डाकघरों (जिसकी सूची बिन्दु संख्या

08 में दी गयी है) से प्राप्त कर सकते है। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र शुल्क सामान्य/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रू0 220/– (परीक्षा शुल्क रू0 150 + डाक विभाग शुल्क रू0 40/– + प्रवेश पत्र हेतु डाक टिकट रू0 30/–) है तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए रू0. 130/–(परीक्षा शुल्क रू0 60/– + डाक विभाग शुल्क रू0 40/ + प्रवेश पत्र हेतु डाक टिकट रू0 30/–) है।

उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक श्रेणी/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड विशिष्ट खिलाड़ी/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, (**यथा**– सामान्य/उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/ उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग) के होंगे उन्हें उक्तानुसार उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(7) आवेदन कैसे करें :– परीक्षा हेतु निर्देशों सहित ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र ''पी0जी0'' (P.G.) सीरीज (अनारक्षित अभ्यर्थियों, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 220/– तथा ''पी0आर0'' (P.R.) सीरीज के (उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 130/– निम्नलिखित स्थानों पर स्थित डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक नकद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विशिष्ट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित अपने मुख्य वर्ग/श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। **ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढे तथा उसी के अनुरूप आवेदन पत्र को भरे।**

(8) डाकघरों की सूची:–

(1) अल्मोड़ा– अल्मोड़ा–मुख्य डाकघर, रानीखेत–प्रधान डाकघर, भिकियासैण, द्वाराहाट, मासी,।

(2) बागेश्वर–बागेश्वर–मुख्य डाकघर, बैजनाथ, कपकोट, कांडा।

(3) चमोली–गोपेश्वर–मुख्य डाकघर, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग।

(4) चम्पावत–चम्पावत–मुख्य डाकघर, लोहाघाट, देवीधूरा, टनकपुर।

(5) देहरादून–देहरादून– (जी.पी.ओ.), मसूरी, ऋषिकेश, विकास नगर, प्रेमनगर, राजपुर, डोईवाला, चकराता।

(6) हरिद्वार–हरिद्वार–मुख्य डाकघर, रूड़की–मुख्य डाकघर, लक्सर, बी.एच.ई.एल.।

(7) नैनीताल–नैनीताल–मुख्य डाकघर, रामनगर, हल्द्वानी–मुख्य डाकघर, ओखलकांडा।

(8) गढ़वाल–पौड़ी–मुख्य डाकघर, कोटद्वार–मुख्य डाकघर, लैन्सडाउन–मुख्य डाकघर, श्रीनगर, धूमाकोट।

(9) पिथौरागढ़–पिथौरागढ़–मुख्य डाकघर, गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट, धारचूला, थल, मुन्सियारी।

(10) रूद्रप्रयाग–रूद्रप्रयाग–मुख्य डाकघर, ऊखीमठ।

(11) टिहरी गढ़वाल–न्यू टिहरी–मुख्य डाकघर, नरेन्द्र नगर, घनसाली।

(12) ऊधम सिंह नगर–रूद्रपुर–मुख्य डाकघर, पन्तनगर, काशीपुर, खटीमा।

(13) उत्तरकाशी–उत्तरकाशी–मुख्य डाकघर, बड़कोट, पुरोला।

(9) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश/अनुदेश–

1– ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढे तथा निर्देशों के अनुरूप ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरे। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

2— विज्ञापित पदों में से अभ्यर्थी द्वारा एक पद से अधिक पदो हेतु आवेदन करने की दशा में संलग्न निर्देश के अनुसार अन्य ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों का विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–16 के संबन्धित खाने में अवश्य भरे तथा गोले को काला करें। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि अन्य ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों का विवरण सही–सही मद संख्या–16 में अवश्य भरे। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की गलती के आधार पर, आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

3— अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–07 में अवश्य लिखें तथा संबंधित वृत्त में नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकन करें। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

4— अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–08 में अपनी जन्मतिथि अवश्य अंकित करें तथा संबंधित अंकन नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकन करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। विज्ञापन के अनुसार निर्धारित आयु से कम/अधिक होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5— ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–05 एवं 23 पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6— अनिवार्य अर्हता धारित करने की तिथि का उल्लेख ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–15 में न करने अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

7— अभ्यर्थी विज्ञापन में विहित अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप ही डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र का क्रय करें तथा उसे ही भरकर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क से कम आवेदन शुल्क का ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरकर प्रेषित करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8— यदि कोई अभ्यर्थी एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित करता है तो लिफाफे के भीतर के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगा।

9— आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदन पत्र पर आवेदन करने अथवा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की फोटोप्रति पर आवेदन करने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10— ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के वृत्त में अंकन अथवा नीले बॉल प्वाइंट पैन से ही भरें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11— विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सभी प्रविष्टियां (चौकोर खाने तथा गोले) पूर्ण रूप से नहीं भरने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

12 आवेदन पत्र में दर्शाया गया विवरण अपठनीय अस्पष्ट एवं भ्रामक होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

13— नियमों/अनुदेशों का उल्लंघन करने की दशा में ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14— यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चस्पा नहीं करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

15— अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

16– अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन पत्र तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10)सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) विज्ञापन के फलस्वरूप अधिक आवेदन पत्र आने पर छँटनी हेतु स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(5) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(7) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(8) आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् इसका मूल्य वापस नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया गया हो अथवा नहीं।

(9) छँटनी हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूतम शैक्षिक अर्हता से दो कक्षा कम होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को एक घण्टे के लिए 10 मिनट तथा तद्नुसार अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

(10) यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि **वस्तुनिष्ठ प्रकार** के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(11) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त

विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) परीक्षा भवन में आचरण :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई असत्य विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि परीक्षा में एकाधिक वाजिब कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जा सकता है तथा उनके विरूद्ध आयोग द्वारा कठोर कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण सूचना आयोग की वेबसाइट–**www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(17) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए तथा अपने प्रार्थनापत्र के साथ ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करनी चाहिए।

(18) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।

(ख) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों एवं विशिष्ट खिलाड़ियों के मामले में क्रमशः शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर,1985 व शासनादेश संख्याः 2461/XXX (2)/2002, दिनांक 06 अक्टूबर,2006 तथा शासनादेश संख्या–136/XXX (2)/2009, दिनांक 27.02.2009 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

(ग) उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए आवश्यक है। **अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए। उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारूप आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।**

(घ) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(19) **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।**

(20) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। **इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले** आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(21) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली छँटनी हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (**Negative Marking**) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(22) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(23) **छँटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।**

(11) परीक्षा केन्द्र –छँटनी हेतु आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा केन्द्रों का विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के मद संख्या–11 में दिया गया है। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदकों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आयोग का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा तथा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबन्धी कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(12) **आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–** पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, पो0आ0 गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 249404''** को **दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के सांय 6.00 बजे तक** अथवा उसके पूर्व किसी भी माध्यम से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते है अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर स्वयं भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। **फैक्स द्वारा या बैरंग प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएगे।**

(चन्द्र शेखर भट्ट),
सचिव।